न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

III/निगरानी/रीवा/भू०रा/2017/ 3150 निगरानी

55

1- कृष्णमणि

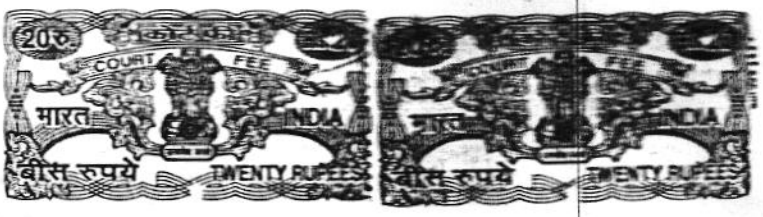

2- हरिवंश

3- शेषमणि

4- महेश प्रसाद

5- अरूण कुमार

सभी के पिता गंगा प्रसाद ब्रा० सभी निवासी ग्राम नाउन कला तह० हनुमना जिला रीवा म०प्र० ..... आवेदक गण /निग० कर्ता गण

आई. पी. द्विवेदी 7-10-17

7-10-17

बनाम

1- चन्द्रिका प्रसाद पिता श्री जमुना प्रसाद ब्रा०

पेशी दिनांक 13-10-17

2- पवन कुमार पिता रघुवंश प्रसाद

3- सन्तोष कुमार पिता रघुवंश प्रसाद

4- विनोद कुमार पिता रघुवंश प्रसाद

5- शान्ती पत्नी रघुवंश प्रसाद

6- त्रियुगी नारायण पिता चन्द्रिका प्रसाद

7- रामशिरोमणि पिता चन्द्रिका प्रसाद

8- विद्यासागर पिता चन्द्रिका प्रसाद

9- विजय कुमार पिता चन्द्रिका प्रसाद

10- राज कुमार पिता चन्द्रिका प्रसाद

11- विद्याशंकर पिता चन्द्रिका प्रसाद

12- रामसागर पिता चन्द्रिका प्रसाद

सभी निवासी ग्राम नाउन कला तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०

.... अनावेदक गण /गैर निग० गण

नगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी महो० तहसील हनुमना के प्रकरण क्र० 1996/15-16 आदेश

//2//

दिनांक 30·8·2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है

1- यहकि अधी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक गण द्वारा पंजीकृत व्यवस्था पत्र दिनांक 20·5·77 के आधार पर तहसील न्यायालय मे नामान्तरण बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमे सुनवाई कर विधिवत नामान्तरण आदेश दिनांक 18·7·16 को पारित किया गयाथा, जिसके विरुद्ध अनावेदक गण द्वारा अधी0 न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी । उक्त अपील के प्रचलनशीलता पर आवेदक गण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विरोध किया गया थाकि पंजीकृत दस्तावेज के आधारपर विचारण न्यायालय द्वारा नाभा0 आदेश पारित किया गयाहै, अधी0 न्यायालयको पंजीकृत दस्तावेज को शून्य करने का अधिकार नही है, इस कारण प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नही है, परन्तु अधी0 न्याया0 ने मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत प्रश्नाधीन आदेश पारित करनेमेमहान विधिक भूल की है ।

3- यहकि विधि मे यह आधार भूत सिद्वान्त है कि पंजीकृत दस्तावेजो को शून्य करने का अधिकार व्यवहार न्यायालयको है, क्योकि व्यवहार न्याया0 मे विधिवत समस्त साक्षियो का विधिवत परीक्षण कर दस्तावेज मे गुण दोष पर आदेश दिया जा सकताहै, परन्तु अधी0 न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरंदाज

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक –तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3750

चूड़ामणि आदि विरूद्ध चन्द्रिकाप्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आई.पी. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना, जिला–रीवा के प्रकरण क्रमांक 19/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30–08–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 5/3/19	